बैअुल वफ़ा

1- बैअ वफ़ा के विषय पर तमाम लेखों, निबन्धों और वाद विवाद के बाद सेमिनार में भाग लेने वालों का अहसास है कि हमारे समाज से आपसी सहयोग और क़र्ज़ हसना की भावना कम और क़र्ज़ की वापसी में टाल मटोल की आदत बढ़ती जा रही है इस लिए सेमिनार मुस्लिम समुदाय से अपील करता है कि कर्ज़ हसना की जो श्रेष्ठता है उसे हासिल करने और कर्ज़ अदा करने में टाल मटोल की बुराई से बचने की चिंता पैदा की जाए। इसी के साथ इस्लामी शरीअत से इस बारे में जो मार्गदर्शन मिलता है उस पर अमल किया जाए।

2- शरीअत में रहने का उद्देश्य क़र्ज़ की प्राप्ती को विश्वसनीय बनाना है। अतः क़र्ज़ देने वाले के लिए माल (रहन रखे हुए से) से लाभ उठाना जायज़ नहीं, यह ग़रीबों का शोषण और सूद ख़ोरी का एक साधन है।

3- यदि क़र्ज़ देने वाला रहन रखे माल से लाभ उठाए फ़ायदा उठाने के जितनी रक़म क़र्ज़ की रक़म से वापस होती जाएगी, यहां तक कि यदि क़र्ज़ की पूरी रक़म के जितना फ़ायदा उठा चुका हो तो रहन रखा माल बिना किसी मांग के क़र्ज़ लेने वाले को वापस करना वाजिब होगा।

4- यदि कोई व्यकित सख़्त ज़रूरत मन्द हो, उसे न क़र्ज़ हसना मिले और न ही रहन पर क़र्ज़ मिले और वह नक़द रक़म हासिल करने के लिए अपनी कोई चीज़ किसी के हाथों बेचता है जबकि उसका इरादा हो कि बाद में उसे दोबारा ख़रीद लेगा तो इसकी गुंजाइश है। अलबत्ता वापस ख़रीदारी का उल्लेख इस मामले को करने के बीच न किया जाए, बल्कि इससे अलग आपसी सन्धि हो जाए कि ख़रीदार उसे उसी क़ीमत पर दोबारा बेचने वाले को बेच देगा। तो ऐसा करना सही होगा। इस सूरत में कि ख़रीदार के लिए उससे लाभ उठाना जायज़ है या नहीं? इस बारे में फ़ुक़हा (धर्म शास्त्री) के बीच मतभेद है। कुछ फ़ुक़हा ने इसकी अनुमति दी है फिर भी इससे सावधानी बरतना बेहतर है।

5- किसी भी जायदाद, दुकान व मकान को किराए पर लेने देने के लिए ज़मानत के नाम से ली जाने वाली रक़म शरअी तौर पर क़र्ज़ के हुकम में है।

6- क़र्ज़ की बिना पर किराये में प्रचलित उजरत के मुक़ाबले में आसाधरण कमी (ग़बन फ़ाहिश) ''कुल्लु क़र्ज़ जर नफ़आ फ़हुवा हराम'' के तहत ना जायज़ है।

☆☆☆

नोटः 22वां फ़िक़्ही सेमिनार (अमरोहा, यू0पी) दिनांक 25-27 रबीउस्सानी 1434 हि0 - 9-11 मार्च 2013 ई0